राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/2373 **दिनांक :** 16/9/19

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्था,
राजस्थान।

विषयः– सत्र 2019–20 की **द्वितीय काउन्सलिंग** के अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2019–20 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु द्वितीय काउन्सलिंग आयोजित की जा कर काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार/वरियतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय आवंटित किये गये है। द्वितीय काउन्सलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को **दिनांक 23.09.2019 सांयकाल 04.00 बजे** से पूर्व अपनी उपस्थिति आवंटित महाविद्यालय/संस्था में देनी है। निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा–10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों का मिलान प्रवेश सूची से दिये गये अंकों से करें।
2. मिलान के पश्चात् छायाप्रति रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थियों से निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें:–
   - 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)।
   - मूल निवास।
   - जाति प्रमाण पत्र।
   - राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate)।
   - अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों जैसे P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।**
3. उपरोक्त मूल दस्तावेज महाविद्यालय/संस्था अपने स्तर पर जमा कर कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवायें। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता हेतु अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।
4. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका से मिलान करें। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिकाओं का प्रमाणीकरण भी करवाया जावे।
5. अंकतालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा**

16/9/19

न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो। इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है तथा आवंटन सूची में नाम होने पर भी प्रवेश नहीं दिया जायें तथा राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को इस संबंध में ईमेल (rpmc.helpdesk@gmail.com) के माध्यम से तुरन्त अवगत कराया जावे।

6. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।** किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
7. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किये जायेगाः–
   A. Tuition Fees – Rs. 35000 per year
   B. Caution money – Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
   C. Uniform Fee – Rs. 1500 (Once in Course duration)

   यदि किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी से प्राप्त की जाती है तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी में आने पर/लाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर शास्ति (Penalty) के रूप में राशि रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण पर वसूल किये जायेंगे।

9. महाविद्यालय/संस्था द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को समस्त प्रकार की फीस जमा करवाये जाने पर तत्समय ही इसकी प्राप्ति रसीद जारी करनी होगी।
10. सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर भी अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अपेक्षित होगा, ऐसा समस्त संबंधित अभ्यर्थी को भी अवगत करावें।
11. समस्त अभ्यर्थियों से किसी भी राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate प्राप्त कर इसे भी जॉइनिंग के समय संबंधित कॉलेज में प्राप्त किया जायेगा। संबंधित कॉलेज इस प्रमाण पत्र पर अंकित राजकीय चिकित्सालय का नाम, जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम, डिस्पेच क्रमांक व दिनांक भली प्रकार जाँच लेवें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate पर जारी कर्ता अधिकारी का नाम/डिस्पेच नं. अंकित ना हो तो ऐसे अभ्यर्थियों से राजकीय चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी की रसीद प्राप्त करने के पश्चात् उसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी Medical Fitness Certificate प्रस्तुत करता है तो मान्य है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में अवगत करवाया जा चुका है।
12. यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backwward Class) जाति प्रमाण–पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य है लेकिन एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2141 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप अवगत करवाया जा चुका है।
13. यदि कोई अभ्यर्थी अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018, संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग (More backward Class) के अभ्यर्थियों के पास यदि अति पिछड़ा वर्ग

16/9/19

का प्रमाण पत्र है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का लाभ देते हुए अभ्यर्थियों की जोईनिंग स्वीकार करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जारी प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी के लाभ के लिए आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गड़रिया (गाडरी), गायरी) को अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा। जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2140 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप अवगत करवाया जा चुका है।

14. यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में सीटों का आवंटन किया जावेगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित सीट अनारक्षित श्रेणी की है, किसी भी आरक्षित श्रेणी की नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होना अंकित किया जाने के कारण या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें राजस्थान की आरक्षित श्रेणी में किसी सीट का आवंटन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा उनकी जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों की सूचना तुरन्त कौंसिल की ईमेल आईडी **rpmc.helpdesk@gmail.com** पर प्रेषित करें। इस हेतु संबंधित महाविद्यालय अभ्यर्थियों की मूल निवास की गहनता से जाँच कर लेवें।
15. यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी आरक्षित श्रेणी (यथा SC, ST, OBC, MBC, EWS, TSP, Sahariya) का है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित महाविद्यालय उनके महाविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थी के आवंटन पत्र पर Alloted category का मिलान उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये संबंधित प्रमाण–पत्र से करें। यदि अभ्यर्थी उस श्रेणी का नहीं है या उस श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें उसे सीट आंवटित हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी की जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जावे तथा ऐसे समस्त प्रकरणों की भी सूचना कौंसिल उपर्युक्त वर्णित ई–मेल के माध्यम से तुरन्त प्रेषित की जावे।
16. यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी आरक्षित श्रेणी (यथा SC, ST, OBC, MBC, EWS, TSP, Sahariya) का है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी (General Category) में आवंटन (Allotement) हुआ है तो ऐसे अभ्यार्थियों से संबंधित आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार उपस्थिति (Reporting) स्वीकार की जावें।
17. यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन (**Physical Handicapped**) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु योग्य पाये जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति (Reporting) स्वीकार की जावें, ऐसे अभ्यर्थियों के प्रकरण में केवल Provisional Allotment Letter के माध्यम से प्रवेश किसी भी परिस्थिति में अनुमत नहीं किया जावे।
18. यदि किसी अभ्यर्थी का **Upward Movement** के तहत् किसी भी अन्य महाविद्यालय/संस्था या उसी महाविद्यालय/संस्था अन्य किसी भी कोर्स में आवंटन हो चुका है तो ऐसे प्रकरणें में अभ्यर्थी को द्वितीय काउन्सलिंग में Upward Movement के तहत् आवंटित महाविद्यालय/संस्था एवं कोर्स में अपनी उपस्थिति (Reporting) संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को पूर्व काउन्सिलिंग के माध्यम से महाविद्यालय/संस्था एवं कोर्स की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेजात व फीस Upward Movement में आवंटित महाविद्यालय/संस्था को पूर्व काउन्सलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था द्वारा स्वतः ही अन्तरित (Transfer) की जोयगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के अन्तर्गत नवीन आवंटित सीट पर उपस्थिति (Reporting) नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेजात पूर्व आवंटित महाविद्यालय/संस्था के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को लौटा दिये जायेगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा

16/9/19

जमा करायी गयी फीस की राशि को संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाया जाकर कौंसिल के खाते में जमा कराया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा तृतीय काउन्सिलिंग में भाग लिया जाता है तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) करता है तो कौंसिल द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की फीस को अभ्यर्थी के उपस्थिति (Reporting) करने के उपरान्त तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था को अन्तरित (Transfer) कर दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी तृतीय काउन्सिलिंग में भाग लेता है, अभ्यर्थी को तृतीय काउन्सलिंग आवंटित महाविद्यालय/संस्था में भी उपस्थिति (Reporting) नहीं करता है या कोई भी महाविद्यालय/संस्था आवंटन नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस पुनःसंदाय नहीं (Not Refundable) है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

19. यदि किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) किये जाने तथा फीस जमा कराये जाने के उपरान्त या अध्ययन के दौरान भी, किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है अथवा उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा के समकक्ष नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जावेगा तथा इसके फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा प्राप्त की गई फीस को पुनःसंदाय (Refund) संबंधित अभ्यर्थी को किया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी द्वारा तथ्य छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को फीस पुनःसंदाय(Refund) नहीं की जायेगी।

20. उपर्युक्तानुसार समस्त पैरा में अंकित दस्तावेज ओर उनकी प्रतिलिपियों की जांच संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा की जावेगी और उनकी सत्यता व प्रमाणिकता की संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जावेगा। यदि किसी भी दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित शर्तों/पात्रता का उल्लंघन होने पर भी यदि संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा और राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शास्ति (Panelty) के रूप में राशि रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण पर वसूल किये जायेंगे, तथा इस कारण इस सीट के रिक्त रहने की स्थिति की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्था की होगी।

21. काउन्सलिंग से आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में उपस्थिति देने के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् प्रवेश हेतु पात्र पाये जाने पर उसी समय सर्वप्रथम महाविद्यालय/संस्था की SSO ID को Login करने पर वहाँ प्रदर्शित एप्लीकेशन (Application) HTE को खोलकर वहाँ पर दिये गये विकल्प Select Organization में Rajasthan Paramedical Council तथा Application में DMHS-Paramedical Council Admission 2019-20 का चयन कर आपको उपलब्ध करवाये गये User Manual के अनुसार प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही सम्पन्न करनी है। अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज की जायेगी। **प्रवेश एवं काउन्सलिंग सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज नहीं करने एवं केवल ऑफ लाईन दस्तावेज प्राप्त कर शुल्क जमा कर लेने पर प्रवेश पूर्ण नहीं माना जायेगा तथा ऐसी सीटों को रिक्त मानते हुए तृतीय काउन्सलिंग में अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जायेगा।**

22. द्वितीय काउन्सलिंग में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश लेने की **अंतिम तिथि दिनांक 23.09.2019 सायंकाल 4.00 बजे** तक आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा ताकि प्रवेश के अंतिम समय सायंकाल 6.00 बजे सॉफ्टवेयर के 'डिएक्टीवेट' (Deactivate) होने से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो सकें। **दिनांक 23.09.2019 को सायंकाल 6.00 बजे** सॉफ्टवेयर का द्वितीय काउन्सिलिंग प्रवेश लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा तथा उसके बाद रिक्त रही सीटें तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित की जायेगी।

23. यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण प्रस्तुत करें, तथ्य छुपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से अयोग्य होने पर भी किसी भी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे

16/9/19

प्रकरणों में जानकारी में आने पर/लाये जाने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) के समय छात्र को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप अवगत कराया जाये तथा संबंधित महाविद्यालय भी इस संबंध में पूर्ण सतर्कता रखें। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

24. समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति (Reporting) के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजों का गहनता से जांच कर पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही उपस्थिति (Reporting) करें। ऐसे नहीं करने पर इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक/मानसिक/समय की क्षति के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्था जिम्मेदार होंगे तथा इसमें राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में कोई भी अभ्यर्थी/अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विरूद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे, किन्तु संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं के विरूद्ध यदि अभ्यर्थी चाहे तो नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही के लिए दिनांक 08.08.2019 को प्रशिक्षण के समय उपलब्ध करवाये गये एवं पैरा मेडिकल काउन्सिल की वैबसाईट पर उपलब्ध 'उपयोगकर्त्ता निर्देश' (User Menual) का अच्छी तरह अध्ययन कर ले।

संलग्नः—

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका की प्रति
2. 'उपयोगकर्त्ता निर्देश' (User Menual)।

16/9/19

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः— रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019—20)/2019/2373
दिनांकः— 16/9/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः—

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

16/9/19
रजिस्ट्रार